ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री वरिन्दर कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सतीश कुमार	01.04.2024 से 31.8.2024 तक
2.	श्री प्रदीप कुमार	01-9-2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत घंगरेट के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4.1(ग)	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण अन्तर बारे।	20

2)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष।	23.5
3)	7.1(क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.5
4)	8.1	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना।	0.15
5)	8.2	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना।	2.0
6)	8.3	निर्माण कार्य के समर्थन में सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।	1.20
7)	8.4	खरीदे हुए सामान से सम्बंधित E-Way Bill प्रस्तुत न करने वारे।	1.20
8)	8.6	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना।	5.31

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री जीवन कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 02.08.2025 से 11.8.2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	03/2025	02/2025

अस्वीकरण :- **"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है।**

उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा" ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 183/2025 दिनांक 11.08.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत घंगरेट द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित चिंतपूर्णी के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 325698 दिनांक 19.08.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत घंगरेट द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 160/2025 दिनांक 02.8.2025 के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान दो रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान, (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, मनरेगा (online), SBM (Online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2024-25	3767805	4382025	8149830	4868234	3281596

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत घंगरेट के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अंतर **1243295.54** था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	**3281596**
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**1276111.5**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	**0**
4)	**योग (2+3)**	**1276111.5**
5)	**अन्तर (1-4)**	**2005484.5**

4.1 (ग) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹20 लाख के अन्तर बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष की रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹2005484.5** का अन्तर पाया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172/2025 दिनांक 06.8.2025 जिसके सन्दर्भ में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट / 50 /2025 दिनांक 11.08.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त अन्तर को रोकड़ बही व बैंक के साथ मिलान करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: उक्त राशि के अन्तर के कारणों का सम्बंधित अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत व अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

4.2 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य

निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 160/2025 दिनांक 02.8.2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट /33/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹23.5 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 160/2025 दिनांक 02.8.2025 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट/ 33/2025 दिनांक 11.8.2025 प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹2342459.00** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा

सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 160/2025 दिनांक 02.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/ घंगरेट/33/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 160/2025 दिनांक 02.8.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट /33/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7 स्वयं स्त्रोत

7.1 (क)पंचायत राजस्व ₹0.5 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | सचिव, द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 167/2025 दिनांक 04.8.2025 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट/46/2025 ग्राम पंचायत दिनांक 11.8.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹4500 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	5900	35000	40900	36400	4500

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.01 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-08 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार ₹1200** की वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	1200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 162/2025 दिनांक 02.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट/35/2025 दिनांक11.8.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-08 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "ग"** में वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹2200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2024-25	2200

इस सम्बन्ध में जारी ज्ञापन संख्या 163/2025 दिनांक 02.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट/37/2025 दिनांक11.8.2025 द्वारा उपरोक्त वर्णित राशि को ग्राम पंचायत घंगरेट द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट "ग"** अनुसार में सभा निधि में जमा करवा दिया गया है और अंकेक्षण द्वारा उक्त राशि का जमा करवाए जाने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान कर ली गई है। इसके अतिरिक्त सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवगत करवाया कि विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को राजकीय कोष के मद 0235-00-800-08 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

8. व्यय

8.1 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान करना।

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक

29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष .024-25 में निम्नानुसार आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **₹717112.00** (जी.एस.टी. को छोडकर) **(सलंग्न परिशिष्ट "घ")** भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मासों के दौरान स्त्रोत पर **₹14342.00** की जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या ज्ञापन संख्या 183(I)/2025 दिनांक 11.8.2025 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GP/ घंगरेट/49/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि भविष्य में GST, TDS की कटौती नियमानुसार कर भुगतान किया जाएगा। भविष्य में नियमों की पूर्णतया पालना की जाएगी | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.2 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹2.0 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी.आर.)-डी.बी.

जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में **सलंग्न परिशिष्ट "ड़" अनुसार ₹184460.00** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे| अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 178 /2025 दिनांक 06/08/2025 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या पत्र संख्या GP/ घंगरेट /38/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा| प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है| अत: **₹184460.00** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.3 ₹ 1.2 लाख के निर्माण कार्य के समर्थन में सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे,संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 -पार्ट –बी के नियम -79 (2) के अनुसार पंचायत समिति सचिव को अंकेक्षण को आपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेबार रहना होगा। परन्तु चयनित माह के भुगतान बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 94,95 व 101 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख जैसे निर्माण कार्यों प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन /तकनीकी मंझूरी और वित्तीय व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके कारण **सलंग्न परिशिष्ट "च" अनुसार** अनुसार निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किए गए **₹119700.00** के भुगतान अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका जो कि आपतिजनक है। अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 176/ 2025 दिनांक 06.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट /41/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि आगामी अंकेक्षण में उपरोक्त

कार्यों से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अत: उक्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा पूर्ण अभिलेख सहित अंकेक्षण को अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 ₹ 1.20 लाख से खरीदे हुए सामान से सम्बंधित E-Way Bill प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12-4/78-EXN- Tax - 14104 dated 1st मई 2018 के अनुसार अगर सामान की कीमत ₹50000 से ऊपर है तो उस सामान की आपूर्ति E way bill द्वारा करना अनिवार्य है। E-Way Bill एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो कि GST पोर्टल पर बनता है, GST सिस्टम के तहत किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए उस सामान का ऑनलाइन बिल तैयार किया जाता है। यह बिल 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ज़रूरी है। माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के तहत, माल की आवाजाही शुरू होने से पहले पंजीकृत लोगों या ट्रांसपोर्टरों द्वारा एक ई-वे बिल तैयार किया जाना चाहिए। इससे वास्तविक समय में माल की आवाजाही पर नज़र रखता है, यह एक डिजिटल प्रणाली है, जो माल के परिवहन से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन दर्ज करती है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल हो जाती है। अंकेक्षण में चयनित माह के भुगतान वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि **सलंग्न परिशिष्ट "छ" अनुसार** ग्राम पंचायत में फर्मों द्वारा सामान की आपूर्ति बिल के साथ E way bill सलंग्न नहीं किया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत उक्त सामान की खरीद को संदेहजनक होने के साथ साथ नियमों की अवहेलना करना दर्शाता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 168/2025 दिनांक 05.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट/45/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि आगामी अंकेक्षण में उपरोक्त खरीद हेतु e-way बिल प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। प्रस्तुत उत्तर एक संतोषजनक नहीं है, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल लाई जाना सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाब दिया जाता है कि 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान की प्राप्ति e –way bill द्वारा सुनिश्चित की जाए और मूल बिलों के साथ सलंग्न किया जाए। अन्यथा माल परिवहन के लिए चालान या ई-वे बिल बनाने में विफल होना एक गंभीर अपराध है, इससे ₹10,000 या अधिक राशि के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस प्रकार e –way

bill ख़रीदे गए सामान की आपूर्ति / आवाजाही को अधिक पारदर्शी बनाता है और यह कर चोरी को भी रोकता है।

8.5 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹ 0.75 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **(सलंग्न परिशिष्ट " ज" अनुसार)** पंचायत द्वारा **₹74811.00** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 175/2025 दिनांक 06.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट /36/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों की पूर्णतया पालना की जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.6 अग्रिम राशि ₹5.31 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ऊना को सीमेंट के क्रय हेतु **(सलंग्न परिशिष्ट "झ" अनुसार) ₹531720.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2025 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका विवरण में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 177/2025 दिनांक 06.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GP/ घंगरेट /44/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.7 लोक संपर्क विभाग हि० प्र० के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में छपवाए गये विज्ञापनों हेतु किये गये भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करके सरकारी राजस्व ₹0.05 लाख की वितीय हानि बारे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 2006/01-15 Pub 92-14263 दिनांक 30.08.2006 व पत्र संख्या 1-PR-H (F)-4(APP)/2013 में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड व कारपोरेशन द्वारा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाए जाने आवश्यक हैं तथा विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाए जाने की स्थिति में विज्ञापन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक -300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विज्ञापन छपवाने हेतु **₹4910.00** का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया था तथा यह राशि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से व्यय नहीं की गयी थी, जोकि सरकार के उक्त निर्देशों के प्रतिकूल है जिसके कारण 15% की दर से कमीशन के रूप में **₹736.00** की हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से हानि हुई है। अतः 15% कमीशन के रूप में **₹736.00** की हिमाचल प्रदेश सरकार को हुई राजस्व हानि को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या व् दिनांक	**कार्य**	**बिल संख्या / दिनांक**	**विज्ञापन एजेंसी**	**बिल राशि**	**आपेक्षित 15% कमीशन**
OWN/2024-25/P/5	निविदा हेतु	24/D/003849 dt 28.6.2024	Divya Himachal	2523/- (with GST)	378

29.06.2024	विज्ञापन				
OWN/2024-25/P/4 29.06.2024	निविदा हेतु विज्ञापन	HP-1-2425-002347dt 28.6.2024	Amar Ujala	2387/- (with GST)	358
			कुल योग	**4910**	**736**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 187/2025 दिनांक 11.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट /43/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में विज्ञापनों हेतु भुगतान लोक सम्पर्क विभाग द्वारा ही किया जाएगा। उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.8 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.08 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में बजरी (Aggregate) एवं पत्थरों (Stone/Boulders) के आकार अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एवं 12.5% करना निर्धारित है। अंकेक्षण के दौरान **(सलंग्न परिशिष्ट " ञ " अनुसार)** बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल **₹98960.00** का भुगतान किया गया जिस पर **₹8196.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 179/2025 दिनांक 06.8.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट /42/2025 दिनांक 11.8.2025 अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में नियमों की पालना की जाएगी। अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख

सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.9 ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु अपनाई जा रही निविदा प्रणाली में गम्भीर अपातियाँ पाई जाने बारे : -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है। उपरोक्त अतिरिक्त अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाओं को आमंत्रित करने में प्रदेश सरकार के वित्तीय नियमों का पालन ढंग से नहीं किया जा रहा है, उदाहरणत: ग्राम प्रांचायत द्वारा निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों की पालन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है जैसे कि शर्तों व नियमों में स्पष्ट लिखा होता है कि आपूर्तिकर्ता / फर्म व सेवप्रदाता के पास GST नंबर अनिवार्य है, बिना GST के निविदा मान्य नहीं है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि निविदाएं प्राप्ति के समय इन नियमों का पालन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है । इनमे मुख्य अनियमितताएँ इस प्रकार से हैं जैसे कि निविदाओं को बिना GST नंबर के स्वीकार करना, निविदाओं पर कोई भी पत्र संख्या / reference number व दिनांक का अंकित न होना, निविदा भेजने वाले का पूरा नाम व पत्ता नहीं होना, निविदाओं को प्राप्त करने उपरान्त comparative statement न तैयार करना, फ़र्म के बिना लेटर हैड / अधूरी सूचना / गलत GST नंबर का लिखा जाना इत्यादि पाया जाना । । इस प्रकार नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 173/2025 दिनांक 06.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/ घंगरेट /39/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में भी नियमों की पूर्णतया पालना की जाएगी । उत्तर संतोषजनक नहीं है, वर्ष 2024 -25 की अंकेक्षण अवधि में उपरोक्त अनियमितताएं पाई गयी हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्टोर व निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि की खरीद हेतु अपनाई जा रही निविदा प्रणाली में गम्भीर अनियमितताएं पाया जाना एक

चिंतनीय विषय है। अतः उक्त विषय पर सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में निविदाएँ प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन में वर्णित शर्तों व नियमों का पालन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि सामान की खरीद में अधिक पारदर्शिता के साथ बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ भी उठाया जा सके।

8.10 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सचिव, जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप-4 के अनुसार बनाये गये स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नही किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 174 /2025 दिनांक 06.8.2025 के प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ने अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GP/ घंगरेट/40/2025 दिनांक 28.7.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्टॉक रजिस्टर में रख रखाव आगामी अंकेक्षण को सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएँगे। अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9. विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 161/2025 दिनांक 02/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GP/ घंगरेट /34 /2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30

2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
12	बिल रजिस्टर	13	48

10. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 160/2025 दिनांक 02.8.2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या पत्र संख्या GP/ घंगरेट /33/2025 दिनांक 11.8.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

12. **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 29.X.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

29 OCT 2025

6716–6720 का प्रति दूरभाष–0177–2626670

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)128/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 29.X.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का प्रति

परिशिष्ट "क"   पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3767805	4382025	8149830	4868234	3281596

Secretary
Gram Panchayat Ghangret
Dev. Block Amb
Tehsil Amb Distt. Una (H.P.)

ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3767805	2224896	5992701	2711105	3281596

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2719738	1398312	4118050	1775591	2342459

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1048067	826584	1874651	935514	939137

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	2157129	2157129	2157129	0

Checked

Secretary
Gram Panchayat Ghangret
Dev. Block Amb
Tehsil Amb Distt. Una (H.P.)

ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1048067	826584	1874651	935514	939137

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

Checked

21

परिशिष्ट "क-1"

ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	Himachal Pradesh Gramin Bank Bathutipri 15th FC	87790100042649	1013875
	KCC Bank Jourbar OWN (AC B)	20053006794	32185
	KCC Bank Jourbar OWN & GIA (AC A)	20053006705	113284.5
	KCC Bank Jourbar GIA	20053006647	30031
	KCC Bank Jourbar 14th fc	50067801252	0
	IndusInd Bank Una	100206135985	86736
		योग	**1276111.5**
2		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0
		योग (1+2)	**1276111.50**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

परिशिष्ट"ख" पैरा संख्या7.1में संदर्भित

ग्राम पंचायत घंगरेट, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024से 31.03.2025तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	5900	35000	40900	36400	4500

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससेप्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है |

Secretary
Gram Panchayat Ghangret
Dev. Block Amb
Tehsil Amb Distt. Una (H.P.)

23

(परिशिष्ट " ग " पैरा संख्या " 72 व 73 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत घंगरेट , वि०ख० अम्ब , ज़िला ऊना , हि०प्र०

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक	अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि
1.	Rohit Kumar	02-03-2024	21-03-2024	400	0	261964	04-08-2025	400
2.	Sunny Kumar	06-03-2024	21-03-2024	400	0	261965	04-08-2025	400
3.	Sanjay Kumar	18-04-2024	08-05-2024	400	0	261966	04-08-2025	400
4.	Aman Mehta	18-04-2024	10-05-2024	400	0	261967	04-08-2025	400
5.	inderjeet	21-04-2024	10-05-2024	400	0	261968	04-08-2024	400
6.	Rajat mehta	28-09-2024	21-10-2024	200	200	262318	21010-2024	0
7.	Ajay Kumar	28-07-2024	21-10-2024	400	400	261319,20	21-10-2024	0
8.	Akshay	21-10-2024	12-11-2-24	200	200	262322	24-11-2024	0
9.	Rohan	27-11-2024	10-12-2024	200	200	262324	14-01-2025	0
10.	Rahul	14-02-2025	24-03-2025	400	200	261947,63	04-08-2024	200
			कुल योग	**3400**	**1200**			**2200**

Pradeep

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

परिशिष्ट "घ", पैरा संख्या "81" के संदर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत घंगरेट , वि०ख० अम्ब , ज़िला ऊना , हि०प्र०

आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹ ₹0.15 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना

क्र स.	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व् दिनांक	फर्म व् व्यक्ति का नाम	Bill No. / date	क्रय सामान का विवरण	मूल राशी without GST	GST/TDS की कटोती योग्य राशि
1	Planning	Own/2024-25/P/3	M/s Jai Shankar	007/29-08-2024	Sand,40mm	37700	754
2	Planning	Own/2024-25/P/3	M/s Jai Shankar	006/08-08-2024	Sand,40mm	33000	660
3	Planning	Own/2024-25/P/3	M/s Jai Shankar	005/31-07-2024	Sand ,40mm,20mm	45600	912
4	Planning	Own/2024-25/P/4	M/s Jai Shankar	008/10-09-2024	Sand ,40mm,20mm	35500	710
5	Planning	Own/2024-25/P/4	M/s Jai Shankar	009/12-09-2024	Sand,20mm	22000	440
6	Planning	Own/2024-25/P/4	M/s Jai Shankar	010/14-09-2024	Sand,20mm,40mm	25420	508.4
7	Planning	Own/2024-25/P/47	M/s Jai Shankar	011/25-09-2024	Sand,20mm,bricks	20000	400
8	Planning	Own/2024-25/P/6	M/s Tilak raj & sons	2349/31-10-2024	ms pipe colur sheet, gate etc	46491	929.82
9	Planing	own/2024-25/P/7	M/s Tilak raj & sons	2398/02-03-25	steel, 6mm,10mm,8mm	85000	1700
10	15TH FC	15FC/2024-25/P/4	M/s Tilak raj & sons	2133/04-02-2024	Steel 12MM, Pipe,etc	13052	261.04
11	15THFC	15FC/2024-25/P/3	M/s Tilak raj & sons	2133/05-02-2024	Steel 12MM, Pipe,etc	12627	252.54
12	15THFC	15thfc/2024-25/p/18	M/s Jai Shankar	012/10-10-2024	Sand,20mm,40mm	24500	490
13	15thfc	15thfc/2024-25/p/27	M/s Jai Shankar	13/12-10-2024	Sand 20mm,bricks	15100	302
14	15thfc	15thfc/2024-25/p/31	M/s Tilak raj & sons	2341/27-11-2024	Steel 12MM, Pipe,etc	25738	514.76
15	15thfc	15thfc/2024-25/p/52	M/s Jai Shankar	001/17-10-2023	Sand,20mm,40mm	28000	560
16	15thfc	15thfc/2024-25/p/72	M/S Tilak raj & sons	2327/17-11-2024	esw,washwishetc	14645	292.9
17	15thfc	15thfc/2024-25/p/81	M/s Jai Shankar	021/20-10-2024	Sand,20mm	23000	460
18	15thfc	15thfc/2024-25/p/89	M/s Tilak raj & sons	2374/31-12-2024	pipe pvc etc	31100	622
19	MGNREGA	MANREGA 2024-25	M/s Tilak raj & sons	2130/23-01-2024	STEEL12MM,10MM,16MM,8MM	122739	2454.78
20	MGNREGA	MANREGA 2024-25		65/23-01-2024	Sand,40MM,20MM	25900	518
21	MGNREGA	MANREGA 2024-25	M/s Tilak raj & sons	1921/08-08-2023	Mixure	30000	600
					Total	**717112**	**14342.24**

25

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

परिशिष्ट "ड०", पैरा संख्या "४.२" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत घंघरेट

विवरण-ट्रांजिट पास(फार्म -एक्स) प्रस्तुत करने बारे

Sr. no	Financial 1year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No/Dt./Payment advice No/Dt/C.B.	Bill No./Dt.	Supplier	Descriptio	Qty(Kgs/C.mtr/No.)	Rate(₹)	Paid amt. (₹)
1	2024-25	SDP	C/O PUCCA PATH MAIN ROAD TO OLD SHAMSHAN GHAT	P-3/02-02-2025	007/29-08-2024	JAI SHANKER	SAND	300FT	38	11400
							40MM	600FT	28	16800
				P-3/02-02-2024	006/08-08-2024	JAI SHANKER	SAND	500FT	38	19000
							40MM	500FT	28	14000
2	2024-25	VKVNY	C/O PUCCA PATH R/W TILAK RAJ HOUSE TO ROSHAN KI CATTLE SHED TAK	P-3/02-02-2024	005/31-07-2024	JAI SHANKER	SAND	500FT	38	19000
							40MM	700FT	28	19600
							20MM	100FT	34	3400
3	2024-25	VKVNY	C/O PUCCA PATH MAIN ROAD TO HOUSE OF VINOD KUMAR	P-4/02-02-2024	008/10-09-2024	JAI SHANKER	SAND	350FT	38	13300
							20MM	300FT	34	10200
							40MM	400FT	28	11200
4	2024-25	NDF	R/O RASTA R/WFROM HOUSE OF MADAN LAL TO PAWAN KUMAR	P-4/02-02-2024	009/12-09-2024	JAI SHANKER	SAND	200FT	38	7600
							20MM	400FT	34	13600
5	2024-25	MMGPY	C/O PUCCA PATH MAIN ROAD TO FIELD OF LAMBRDAR BALDEV	P-4/02-02-2024	010/14-09-2024	JAI SHANKER	20MM	100FT	34	3400
							40MM	**120FT**	28	3360
							SAND	300FT	38	11400
6	2024-25	SBM-G	C/O SAGRIGATION SHED GP GHANGRET	P-4/02-02-2024	011/25-09-2024	JAI SHANKER	SAND	100FT	38	3800
							20MM	100FT	34	3400
							Total			**184460**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

परिशिष्ट "च ", पैरा संख्या "४3 " के संदर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत घंगरेट , वि०ख० अम्ब , ज़िला ऊना , हि०प्र०

₹1.2 के निर्माण कार्यों के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

Sr. no	Financial Year	Scheme	Name of work/Head	Voucher No./ Dt./Payment Advice No./Dt/C.B.P No./Dt.	Supplier	Description	Paid Amt.(Rs.)
1	2024-25	Planning	upgradation of panchayat ghar	VKVNY/2024-25/P6 02/02/2025 Vr. No.-251415 16/02/2025	HPCS Jourbar	CEMENT	₹ 1,19,700.00
						Total	₹ 1,19,700.00

Pradeep

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

27

परिशिष्ट "छ ", पैरा संख्या " 8.4 " के संदर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत घंगरेट , वि०ख० अम्ब , ज़िला ऊना , हि०प्र०

₹ 1.20 लाख से खरीदे हुए सामान से सम्बंधित E-Way Bill प्रस्तुत न करने वारे

Sr. no	Financial Year	Voucher No/ date	Name of items	Quantity	Rate (₹)	Bill No. / date	Paid Amt.(Rs.)
1	2024-25	VKVNY/2024-25/P6 dt 16.02.2025	Cement	300 bags	399	251415 dt 16.02.2025	₹ 1,19,700.00
						Total	₹ 1,19,700.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

परिशिष्ट "ज", पैरा संख्या "8.5" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत घंघरेट द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹.74 लाख की निर्माण सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

	वित्त वर्ष - 2024-25					
क्र०सं०	वाउचर संख्या	मास	Supplier Name	Bill No. / date	मद का नाम	राशि
1	XV/P/23	Feb-25	M/S Guru	289/ 17.10.2024	interlock	28320
2	Own/P/38	Feb-25	M/s Tilak Raj	2349/ 17.10.2024	Hardware	46491
					TOTAL	74811

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

परिशिष्ट "ञ", पैरा संख्या " 8.6 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत घंगरेट द्वारा वित्त वर्ष - 2024-2025 सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹ 5.4 लाख से संबंधित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत करना एवं अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNERGA)							
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Jourbar	NIL /13-05-2024	94428/21-05-2023	सीमेंट	₹ 377.00	150.00 Bags	₹ 56,550.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Jourbar	Nil/ 13-05-2024	94432/21-05-2023	सीमेंट	₹ 377.00	120.00 Bags	₹ 45,240.00
अनुदान शीर्ष : (GIA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Jourbar	Nil/21/06/2024	338839/17-02-2024	सीमेंट	₹ 386.00	70.00 Bags	₹ 27,020.00
2	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Jourbar	Nil/19/07/2024	338840/06-07-2024	सीमेंट	₹ 386.00	200.00 Bags	₹ 77,200.00
3	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Jourbar	Nil/19/07/2024	338843/12-07-2024	सीमेंट	₹ 386.00	120.00 Bags	₹ 46,320.00
4	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Jourbar	Nil/01/10/2024	393547/15-06-2024	सीमेंट	₹ 386.00	300.00 Bags	₹ 1,15,800.00
5	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Jourbar	Nil/16/02/2025	351415/16-02-2025	सीमेंट	₹ 399.00	300.00 Bags	₹ 1,19,700.00
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)							
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Jourbar	XVFC/2024-25/P/13 Dt 25.10.2024	93589/24-10-2024	सीमेंट	₹ 399.00	50.00 Bags	₹ 19,950.00
2.	H.P.S.C.S.CO.Ltd.Jourbar	XVFC/2024-25/P/79 DT23.01.2025	351405/16-10-2024	सीमेंट	₹ 399.00	60.00 Bags	₹ 23,940.00
					कुल जोड़		₹ 5,31,720.00

30

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)

परिशिष्ट "ञ", पैरा संख्या "8.8" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत घंघरेट द्वारा वित्त वर्ष - 2024-2025 में बजरी एवं पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि .081 लाख का आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा (CFT)	राशी GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
1.	M/s JAI SHANKAR	P-3/02-02-2024	007/29-08-2024	Agg 40mm	₹ 28.00	600.00	₹ 16,800.00	10.00%	₹ 1,680.00
2.	M/s JAI SHANKAR	P-3/02-02-2024	005/31-07-2024	Agg 40mm	₹ 28.00	700.00	₹ 19,600.00	10.00%	₹ 1,960.00
3.	M/s JAI SHANKAR	P-3/02-02-2024	005/31-07-2024	Agg 20mm	₹ 34.00	100.00	₹ 3,400.00	5.00%	₹ 170.00
4.	M/s JAI SHANKAR	P-4/02-02-2024	008/10-09-2024	Agg 20mm	₹ 34.00	300.00	₹ 10,200.00	5.00%	₹ 510.00
5.	M/s JAI SHANKAR	P-4/02-02-2024	008/10-09-2024	Agg 40mm	₹ 28.00	400.00	₹ 11,200.00	10.00%	₹ 1,120.00
6.	M/s JAI SHANKAR	P-4/02-02-2024	009/10-09-2024	Agg 20mm	₹ 34.00	400.00	₹ 13,600.00	5.00%	₹ 680.00
7.	M/s JAI SHANKAR	P-4/02-02-2024	010/10-09-2024	Agg 20mm	₹ 34.00	100.00	₹ 3,400.00	5.00%	₹ 170.00
8.	M/s JAI SHANKAR	P-4/02-02-2024	010/10-09-2024	Agg 40mm	₹ 28.00	120.00	₹ 3,360.00	10.00%	₹ 336.00
9.	M/s JAI SHANKAR	P-4/02-02-2024	011/10-09-2024	Agg 20mm	₹ 34.00	100.00	₹ 3,400.00	5.00%	₹ 170.00
10.	M/s JAI SHANKAR	P-3/02-02-2024	006/08-08-2024	Agg 40mm	₹ 28.00	500.00	₹ 14,000.00	10.00%	₹ 1,400.00
					कुल जोड़		₹ 98,960.00		₹ 8,196.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घंगरेट
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र)